

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 730, 731, 732/2012.....जिला.....राजसमन्द.....

उनवान— सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-3, उदयपुर बनाम मयूरम मार्बल, आमेट, राजसमन्द

<p>तारीख हुक्म</p> <p>30.03.2015</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज</p> <p>खण्डपीठ <u>श्री मनोहरपुरी – सदस्य</u> <u>श्रीमती आशा कुमारी – सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी विभाग की ओर से श्री आर.के.अजमेरा उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित, प्रत्यर्थी अनुपस्थित।</p> <p>विभाग की ओर से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-3, राजसमन्द द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना—पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें एसीटीओ ने निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ/12(16)एफडी/कर/ 2009-188 दिनांक 09.02.2015 का प्रत्यर्थी लाभ लेना चाहते हैं, इस हेतु वे विभाग द्वारा दायर प्रकरण वापस लेना (Withdraw) चाहते हैं।</p> <p>इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्वा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-3, राजसमन्द के पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील विद्वा करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील जरिये विद्वा खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p>✓ 30.3.2015 (आशा कुमारी) सदस्य</p>	<p>नम्बर व ता अहकाम जो हुक्म की ता में जारी है</p>
--	--	--